



Neutral Citation No. - 2026:AHC:25029

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 4343/2026

श्रीमती बिंदू गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : कमलेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रतिवादी संख्या 2- तहसीलदार, न्यायिक, हाटा, जिला कुशीनगर को उत्परिवर्तन वाद संख्या 7203/2025, कंप्यूटर वाद संख्या T202505440207203 का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश के नियम 34 के उप-नियम (7) राजस्व संहिता नियम, 2016,

"(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के भीतर निर्विवाद उत्परिवर्तन मामले का और विवादित उत्परिवर्तन मामले का 90 दिनों के भीतर निर्णय करने का प्रयास करेगा, और यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त आवेदन पर विचार करें और कानून के अनुसार, यथासंभव शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी कानूनी बाधा के अनावश्यक स्थगन दिए, उसका निपटारा करें।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फरवरी 4, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"